आ०कु/आ०कु/1484
दि. 21/10/14

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

(कौशिल्या भवन परिसर, बैरन बाजार रायपुर)
☎ 0771-2410058 फैक्सः 0771-2422627, email id - des.vital13@gmail.com

क्र. 4126/2014/आ.सा.सं./जीवनांक रायपुर, दिनांक 30/9/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
जिला ....(छ.ग.)

विषयः– जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1969 के कियान्वयन हेतु नियमों में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचनाएं एवं आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2014 को प्रकाशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।) उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि यथा 16 सित. 2014 से प्रभावी हो गया है।

अतएव प्रकाशित अधिसूचना एवं आदेश के अनुपालन हेतु कार्रवाई करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

30/9/14

(प्र.) आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़ रायपुर

SPO(HA)
l/c

पृ0 क्र. 4127/2014/आ.सा.सं./जीवनांक रायपुर, दिनांक 30/9/2014

प्रतिलिपि :

1. भारत के महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
4. सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
5. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, छ0ग0, रायपुर ।
7. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय, रायपुर ।
8. समस्त जिला रजिस्ट्रार एवं उप संचालक/जि.यो.सां.अधि., छ.ग. को प्रेषित। उक्त संशोधन पर तत्काल आगामी कार्रवाई करते हुए इस संचालनालय को सूचित करे।

की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

CC To Mithun to upload in website
AG III

30/9/14

(प्र.) आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़ रायपुर

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
दि. 17 OCT 2014
आवक क्रमांक 988

जन्म मृत्यु के file में संधारित करें
22/10/14

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर 2014 — भाद्र 25, शक 1936

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. —— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/ वियो, दिनांक 8 नवम्बर, 2007 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2011/23, दिनांक 05 जुलाई, 2011 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त करती है, ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के तिथि से प्रभावी होंगी .

सारिणी

स. क्र.	अधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	समस्त शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.
2	समस्त शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.
3.	केन्द्र-राज्य के समस्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अस्पताल के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.